

प्रेषक

वित्तियुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
प्रशासकीय सुधार विभाग।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला व हिसार मंडल हरियाणा, राज्य के सभी उपायुक्त तथा उपमंडल अधिकारी (नागरिक) तथा रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय।
दिनांक चण्डीगढ़ 22-6-89

26-9-89

विषय :- रिकार्डों के रख रखाव व नष्टता बारे-रिकार्ड रिटैन्शन शड्यूल, 1984 की दृढ़ता से पालना करना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर मैं आपका ध्यान दिलाऊँ और कहूँ कि प्रायः यह देखने में आया है कि सम्बन्धित विभाग रिकार्डों के रख रखाव व उसे निश्चित अवधि उपरान्त नष्ट करने के लिए निदेशक, अभिलेखागार, हरियाणा द्वारा जारी रिकार्ड रिटैन्शन शड्यूल, 1994 की दृढ़ता से पालना नहीं करते तथा इस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किये जाते हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में रिकार्ड रिटैन्शन शड्यूल, 1984 की दृढ़ता से पालना की जाये तथा अभिलेख की सम्भाल व नष्टता के कार्य पर ऐसे सक्षम अधिकारी/कर्मचारी की शीघ्र नियुक्ति की जाए जो इस कार्य में रुचि लेंगे।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, प्रशासकीय सुधार,

कृते: वित्तियुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

प्रशासकीय सुधार विभाग।

Note : Record Retention Schedule is Attached as Appendix—I
on Page 115—155